तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील अप्रार्थीया ने कथन किया कि विवादित भूमि में मेरा 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर मैं काबिज काश्त हूं। उक्त भूमि के खातेदार द्वारिका बाई व ममता बाई व जगदीशी बाई पुत्रीयां रामस्वरूप थी जिनका भूमियों में 1/3– 1/3 हिस्सा निहित था। जिसमें से जगदीशी बाई ने अपना संपूर्ण हिस्सा सजना कर्मावत को बेचान कर दिया है और वर्तमान में सजना उक्त भूमि की सह खातेदार है साथ ही प्रार्थीया ममता बाई ने भी अपने हिस्से 1/3 में से 1/6 हिस्से को रीना कर्मावत को बेचान कर दिया है जिस पर रीना कर्मावत खातेदार है उक्त दोनो खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से में से भूमि बेचान कर देने के बाद भी दुर्भावना पूर्वक उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जब प्रार्थीया व उसकी बहन जगदीशी बाई भूमि का बेचान कर सकती है तो अप्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि का बेचान क्यों नहीं कर सकती है प्रार्थीया ने न्यायालय को धोखे में रखकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है हमने अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने के लिये विक्रय पत्र तैयार करवा लिया है और राज्य सरकार को चालान से राशी जमा करवा दी है लेकिन माननीय न्यायालय का स्थगन होने से हम अपने हिस्से की भूमि को पंजीयन नहीं करवा पा रहे है। उक्त आदेश अपास्त नहीं किया गया तो अप्रार्थीया को पूर्ण क्षति होगी हम सह खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं बनता है। प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति की संभावना नहीं होकर हमें अपूर्णिय क्षति हो रही है। हम विवादित भूमियों में से हमारे हिस्से का बेचान कर रहे है न की किसी विशिष्ट भू भाग का, किसी सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि को रहन बेचान करने से रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। इन्होने आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे। खंडन में वकील प्रार्थीया ने कथन किया की सहखातेदार संजना कर्मावत व रीना कर्मावत द्वारा हमें कोई परेशानी दी जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 हमारे हिस्से की भूमियों को स्वंय की भूमियां बताकर रहन बेचान करने पर आमदा है। बिना बंटवारा करवाये हुये भूमियों को खुर्द बुर्द करने से रोकने के लिये हमने ये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हो जाने तक स्थगन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 157 वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में अन्य सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया हुआ है, साथ ही वकील प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश की मय प्रार्थना पत्र प्रति उपलब्यध करवाकर आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 का शपथ पत्र भी पेश किया जाना नहीं पाया गया है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 157 वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीया द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की भूमियां होने से किसी सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग, रहन बेचान से रोका जाना उचित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं बन रहा है।
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 157 वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। विवादित भूमियों में प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह खातेदार का बराबर हक व अधिकार निहित होता है। विवादित भूमि में अन्य सहखातेदारों को हक व अधिकार निहित होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के हक में नहीं बन रहा है।
3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 157 वाके ग्राम दबलाना में स्थित है, जो कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। विवादित भूमियों में प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह खातेदार का बराबर हक व अधिकार निहित होता है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भूमियां होने से किसी सह खातेदार द्वारा उसके हिस्से की भूमि को रहन बेचान क़िया जा सकता है। अप्राथ्रीया द्वारा केवल अपने हिस्से की भूमियों का ही बेचान करना बताया है न की किसी विशिष्ट भू भाग का, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.05.2025 को जारी स्थगन आदेश को अपास्त कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली